न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली कैम्प जालोर
पीठासीन अधिकारी : डॉ0 बजरंगसिंह चौहान, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 05/2014

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. पीराराम पुत्र मोड़ाराम जाति कलबी निवासी आजबर तहसील जसवन्तपुरा जिला जालोर		राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार जसवन्तपुरा जिला जालोर

अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–
श्री निखिल दवे, विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
सरकारी पैरोकार, रेस्पोडेन्ट की ओर से

–: निर्णय :–

दिनांकः– 11-2-19

अपीलान्ट्स की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 76 राज भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत राजस्व अपील संख्या 40/2013 में न्यायालय जिला कलक्टर, जालोर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30.12.2013 तथा प्रकरण संख्या 08/2013 में तहसीलदार जसवन्तपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2013 के विरूद्ध पेश की गई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील बहस के दौरान अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलाण्ट के विरूद्ध पटवारी हल्का आजबर द्वारा परीक्षण न्यायालय के समक्ष रिपोर्ट प्रस्तुत कर ग्राम आजबर के खसरा नम्बर 125/323 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 की भूमि पर अपीलाण्ट का अतिक्रमण दर्शाते हुए विधिक कार्यवाही कराने का निवेदन किया। इस पर परीक्षण न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलाण्ट को दिनांक 06.06.2013 को उपस्थित होने बाबत नोटिस जारी किया जाना अंकित किया, इस दिनांक को नायब तहसीलदार आजबर आए ही नहीं तथा दिनांक 10.06.2013 को जैर अपील आदेश पारित कर अपीलाण्ट को विवादित आराजी से बेदखल करने का आदेश पारित किया। जैर अपील विवादित आराजी पर अपीलाण्ट अपने परिवार सहित निवास करता है तथा उक्त भूमि एवं इसके आस पास की भूमि पर आबादी बसी हुई हैं। जैर अपील विवादित आराजी गोचर नहीं होने के बावजूद भी इसे गोचर बताते हुए परीक्षण न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण कार्यवाही की गई। वास्तविक रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट को किसी प्रकार से सुनवाई हेतु नोटिस ही जारी नहीं किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने पर अपीलाण्ट के दो स्थानों पर अंगुष्ठ निशान लगवाए गए। जिसे अपीलाण्ट की उपस्थिति मानते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया। चूंकि उक्त भूमि गोचर की नहीं है तथा अपीलाण्ट का पुराना कब्जा होने के कारण अपीलाण्ट का प्रकरण नियमन योग्य था, किन्तु परीक्षण न्यायालय द्वारा अपीलाण्ट के कथनों को नजरअन्दाज करते हुए जैर अपील निर्णय पारित किया है, जो विधि विरूद्ध हैं। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलाण्ट द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत की, किन्तु वहां से भी अपीलाण्ट की अपील खारिज़ हुई। दोनों ही अधीनस्थ न्यायालयों के समक्ष अपीलाण्ट द्वारा राज्य सरकार द्वारा नियमन हेतु प्रसारित आदेशों के परिप्रेक्ष्य में नियमन हेतु निवेदन किया, इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश के जरिये अपीलाण्ट को बेदखल करने के आदेश पारित किए है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज़ योग्य हैं। अतः अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार करावें एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित जैर अपील निर्णयों को अपास्त करावें।

सरकारी पैरोकार ने अपनी बहस में कथन किया कि ग्राम आजबर के खसरा नम्बर 125/323 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 की भूमि राजकीय भूमि हैं। उक्त भूमि पर अपीलाण्ट द्वारा अतिक्रमण करने के कारण अपीलाण्ट के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही करते हुए आदेश बेदखली पारित किये गये है। जिसे अपीलीय न्यायालय द्वारा पुष्ट किया गया हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के समस्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपीलाण्ट की अपील खारिज करावे।

उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। जैर अपील आदेश से सम्बन्धित प्रकरण की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि ग्राम आजबर के खसरा नम्बर 125/323 रकबा 0.01 हैक्टेयर किस्म गै0मु0 की भूमि राजस्व रेकर्ड में सरकारी भूमि दर्ज है। पटवारी हल्का आजबर द्वारा नायब तहसीलदार जसवन्तपुरा के समक्ष इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की कि अपीलाण्ट द्वारा उपरोक्त भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा कर अतिक्रमण किया है, इस पर नायब तहसीलदार जसवन्तपुरा द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर विधिवत कार्यवाही करते हुए जैर अपील आदेश पारित कर अपीलाण्ट को अतिक्रमी घोषित किया तथा जुर्माना आरोपित करते हुए आदेश बेदखली पारित किये, साथ ही अपीलाण्ट द्वारा किया गया। उक्त आदेश की पालना में अपीलाण्ट को दिनांक 18.06.2013 को मौके से भौतिक रूप से बेदखल भी किया जा चुका हैं। अपीलाण्ट द्वारा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर जालोर के समक्ष अपील दायर करवाई, जिसमें मातहत अदालत द्वारा अपीलाण्ट की अपील खारिज करते हुए परीक्षण न्यायालय का निर्णय बहाल रखा, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती हैं।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज़ की जाती है तथा राजस्व अपील संख्या 40/2013 में न्यायालय जिला कलक्टर, जालोर द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

पारित निर्णय दिनांक 30.12.2013 तथा प्रकरण संख्या 08/2013 में तहसीलदार जसवन्तपुरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.06.2013 को यथावत रखा जाता हैं। इस निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 11.2.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 बजरंगसिंह चौहान)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली
कैम्प जालोर